

19/11/24

पत्रावली पेडा डूरी

अपीलाट नावजूद काशील के
न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं न ही
अपीलाट की ओर से स्वील उपस्थित हुए
हैं इस प्रकार अपीलाट बकालतन एवं
असालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं
ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जाती है
क्योंकि अपीलाट ने तो न्यायालय में हाजिर
हुआ है न फेरवी कर रहे हैं अतः पत्रावली
अदम हाजरी अदम फेरवी में खारिज की
जाती है पत्रावली फैसल कुमार होकर
दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त सभापति आयुक्त
पाली (राज.)